इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण, 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25249-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४६ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची १ में अन्तर्विष्ट कतिपय माल के संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २०११ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. (१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की अनुसूची १ में, अनुक्रमांक ४८ तथा ४९ में अन्तर्विष्ट माल के विवरण अर्थात् क्रमश: फैब्रिक्स तथा शक्कर का संशोधन करने वाली मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-ए-३-४६-२०११-१-पांच (७२), दिनांक २७ सितम्बर, २०११ जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), ८ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी. **अनुसूची १ के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का तथा उसके अधीन की गई कार्रवाइयों तथा बातों का विधिमान्यताकरण.**

(२) अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों के अनुसरण में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह और सदैव यही समझा जाएगा कि वह ८ अप्रैल, २०११ से विधिमान्यत: की गई बात या की गई कार्रवाई है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ७०-क द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची १ तथा २ को संशोधित करने हेतु राज्य सरकार को शक्ति दी गई है. उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-४६-२०११-एक-पांच (७२), दिनांक २७ सितम्बर, २०११ को जारी करके उक्त अधिनियम की अनुसूची-१ में फैब्रिक्स तथा शक्कर से संबंधित प्रविष्टि क्रमांक ४८ एवं ४९ में समुचित संशोधन किए गए हैं जिससे कि फैब्रिक्स तथा शक्कर को मूल्य संवर्धित कर से छूट प्रदान की गई है. किन्तु उक्त अधिसूचना द्वारा किए गए उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव, अर्थात् ८ अप्रैल, २०११ से प्रभावी किया जाना है. अतएव, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव, अर्थात् ८ अप्रैल, २०११ से प्रभावी करने के लिए राज्य विधान-मण्डल का विधिमान्यताकरण अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २४ नवम्बर, २०११.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 7033-412-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 46 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT AMENDMENT (VALIDATION) BILL, 2011

A Bill to validate the amendment of certain goods contained in Schedule I to the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vat Amendment (Validation) Act, 2011.

Validation of amendment of Schedule I with retrospective effect and actions taken and things done thereunder.

2. (1) The notification No. F-A-3-46-2011-1-V(72), dated 27th September, 2011 of the Commercial Taxes Department Government of Madhya Pradesh, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same date (hereinafter referred to as the notification), amending the description of goods contained in serial numbers 48 and 49 that is Fabrics and Sugar respectively, in Schedule I to the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be deemed to have come into force with effect from 8th April, 2011.

(2) Anything done or any action taken in pursuance of the amendments contained in the notification shall be and shall always be deemed to have been validly done or taken with effect from 8th April, 2011.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) give power to State Government to amend Schedule I and II to the said Act. In exercise of the powers conferred by said section, appropriate amendment has been made in the entry numbers 48 and 49 relating to fabrics and sugar, of Schedule-I to the said Act by issuing Notification No. F-A-3-46-2011-1-V(72), Date 27th September, 2011 of the Commercial taxes Department, so as to exempt fabrics and sugar from value added tax, But the said amendment made by said notification has to be given effect retrospectively, that is from 8th April, 2011. Therefore, it is now proposed to bring Validation Act of the State Legislature so as to give effect to the amendments made by said Notification retrospectively, that is from 8th April, 2011.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 24th November, 2011.

RAGHAVJI
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.